राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..690, 691/2017 .....जिला.....बून्दी.....

उनवान – मैसर्स महेन्द्रा टेड्रर्स, तालेडा, बून्दी बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, बून्दी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.05.2017	**एकलपीठ** **राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वी के पारीक एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनील पोखरना उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से हस्तगत अपीलें अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक **21.04.2017,** जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेशों वर्ष 2012–13 व 2013–14 के जरिये कायम मांग राशि कमशः **रू0 2,46,320/–** व 1,34,183/– में से कमशः– 110844/– व 41643/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्यों के अनुसार व्यवहारी द्वारा ग्लूकोज बिस्किट के उत्पादों की बिक्री की जाती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यहारी फर्म के वित्तिय आलेखा का निरीक्षण विभागीय सिस्टम से किये जाने पर कमश राशि रू0 123160/– व 46270/– मिसमैच पाई जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अंकित करते हुए कि यह उचन्ति विक्रय है। इस राशि पर करारोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति का स्थगन स्वीकार कर शेष राशि की वसूली हेतु आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी फर्म द्वारा यह अपीलें पेश की गई है। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हे वर्ष 2012–13 व 2013–14 हेतु सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया व करारोपण कर दिया गया। जो अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी तथ्यों व विधिक पहलूओं को नजर अंदाज करते अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की गयी है, जो अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपने इस कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, बकाया मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। 04/05/17 लगातार.....2	

बहस के दौरान विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया व कथन किया कि व्यवहारी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से यह बतया गया है कि उनके द्वारा भूलवश उपरोक्त वर्षो (2012–13 व 2013–14) की 14 प्रतिशत खरीद को 5 प्रतिशत खरीद में प्रदर्शित कर दी है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के स्वीकारोक्ति व विधि के अनुकुल आदेश पारित किया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कानूनी प्रावधानों के मध्यनजर आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जावे।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन किया गया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से यह बतया गया है कि उनके द्वारा भूलवश उपरोक्त वर्षो (2012–13 व 2013–14) की 14 प्रतिशत खरीद को 5 प्रतिशत खरीद में प्रदर्शित कर दी है। अतः प्रकरण के इस प्रक्रम को गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किया जान न्यायसंगत नहीं। किन्तु बकाया मांग के बिन्दु पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अपील अस्वीकार की जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के **तीन माह** में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें ।

निर्णय सुनाया गया । 04/05/17

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर